प्रारूप

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001
फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, , वेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in, वेबसाईट : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 02/11/2021

अधिसूचना

संख्या–नि॰ प्रा॰/ नि॰ 1–08/2021 1695 चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक–1 में अंकित उन प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है, जिनका निर्वाचन देय है या जो अवक्रमित/ विघटित हैं या जिनके पद रिक्त हैं तथा अनुलग्नक–2 में अंकित वैसी प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) का भी निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है, जो किसी कारणवश निर्वाचन शुल्क की राशि जमा कर पाने में असमर्थ हैं।

3. इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि अनुलग्नक–2 में अंकित प्राथमिक कृषि साख समितियों का निर्वाचन प्रस्ताव प्राधिकार के पत्रांक 2438 दिनांक 27.12.2019 के आलोक में जिला सहकारिता पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराया गया है और ऐसे पैक्सों के अभ्यर्थियों का नामांकन शुल्क नाजिर रसीद के माध्यम से प्रखंड कार्यालय में ही जमा किया जाएगा और समिति के खाता में सीधे जमा राशि की मान्यता नहीं दी जाएगी। निर्वाचन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नामांकन शुल्क प्रखंड कार्यालय में ही जमा हो। प्रखंड कार्यालय में नामांकन शुल्क जमा किये जाने वाले पैक्सों के अभ्यर्थियों के ही नामांकन पत्रों की संवीक्षा निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। संवीक्षा के तुरंत पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रति मतदान केन्द्र ₹5,000/– (पाँच हजार रूपये) की दर से निर्वाचन शुल्क की राशि प्राधिकार को उपलब्ध कराई जाएगी। यदि नामांकन शुल्क से प्राप्त राशि निर्वाचन शुल्क से कम हो, तो इस स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में प्राप्त पूरी राशि प्राधिकार को उपलब्ध कराई जाएगी तथा प्रति मतदान केन्द्र ₹5,000/– (पाँच हजार रूपये) की दर से कितनी राशि कम है, इसका भी उल्लेख निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रति मतदान केन्द्र ₹5,000/– (पाँच हजार रूपये) की दर से निर्वाचन शुल्क प्राधिकार को प्रेषित करने के पश्चात् यदि राशि बचती है तो उस राशि को निर्वाचन पदाधिकारी समिति के खाते में प्राधिकार को राशि भेजने के साथ ही उसी दिन जमा करा देंगे।

यद्यपि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा 700 मतदाताओं के बजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया है। किन्तु निर्वाचन पदाधिकारी पूर्व के प्रावधान के अनुसार 700 मतदाताओं पर बनने वाले मतदान केन्द्रों के हिसाब से गणना कर प्रति मतदान केन्द्र ₹5,000/– की दर से निर्वाचन शुल्क की राशि संवीक्षा के तुरन्त पश्चात् प्राधिकार को उपलब्ध कराएँगे। अतिरिक्त बनाये गये मतदान केन्द्रों के लिए पैक्सों को कोई अतिरिक्त निर्वाचन शुल्क नहीं देना होगा। इसपर होने वाले व्यय का वहन प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

4. अत: बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **कंडिका-5** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 एवं 2 में अंकित प्राथमिक कृषि साख समितियों की पूर्ण प्रबंध समिति/ रिक्त पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक** 13.12.2021 **(सोमवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उदेश्य हेतु प्राधिकार के पत्रांक 1165 दिनांक 09.08.2021 एवं पत्रांक 1210 दिनांक 13.08.2021 द्वारा मतदाता सूची की तैयारी हेतु **कट-ऑफ तिथि क्रमशः दिनांक** 31.07.2021 निर्धारित की गई है। तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन **दिनांक 03.09.2021** को किया जा चुका है।

5. **उक्त प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-**

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र- ई 1 में सूचना का प्रकाशन	16.11.2021 (मंगलवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	01.12.2021 (बुधवार) एवं 02.12.2021 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	03.12.2021 (शुक्रवार) एवं 04.12.2021 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	06.12.2021 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	13.12.2021 (सोमवार) 06:30 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	13.12.2021 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

6. **निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट- http//bsea.bihar.gov.in पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्ट नहीं की जायगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा:-**

क0	सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय	प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात्	ई0-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हॉं अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।

ii.	संवीक्षा की तिथि के तुरंत पश्चात	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या, को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वत: ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्ट करना है।
iv.	मतदान के तुरंत पश्चात् अथवा दो दिनों के अंदर	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूचना (प्रपत्र ई0 18 से संबंधित), को प्रविष्ट करना एवं तदोपरांत डाउनलोड Pdf का Black and White mode में स्कैन कर निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ प्राधिकार के ई-मेल bseapatna@gmail.com पर भेजना है।
v.	मतगणना के तुरंत पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्र-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है।

7. **<u>प्रपत्र ई0-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा।</u> संवीक्षा की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।**

8. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छ: पद आरक्षित होंगे।

(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

9. <u>**निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सूचना का प्रपत्र- ई० 1 में संशोधन किया गया है।**</u> सभी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए <u>**संशोधित प्रपत्र-ई० 1**</u> में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना **दिनांक 16.11.2021 (मंगलवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान का समय 06:30 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदान की अवधि 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जा सकती है, लेकिन इस मतदान की अवधि का उल्लेख अपरिहार्य रूप से उक्त तिथि को प्रकाशित की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-ई० 1) में किया जायेगा। <u>**अनुलग्नक-3 पर संशोधित प्रपत्र-ई 1**</u> में मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र का स्पष्ट उल्लेख किया जायगा। प्रपत्र- ई- 1 को छोड़कर "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" (01 जुलाई, 2019 तक संशोधित) में उल्लिखित प्रपत्रों का ही उपयोग किया जायेगा। उक्त प्रपत्र प्राधिकार के वेबसाईट <u>http://bsea.bihar.gov.in</u> पर भी उपलब्ध हैं।

10. जिन प्राथमिक कृषि साख समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र-ई० 3** (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लेखित) में विधिमान्यत: नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र-ई० 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं

तिथियों को फैक्स **(0612-2231562)** तथा ई-मेल **(bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

11. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) को प्राधिकार के वेबसाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक 25.02.2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

12. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा **700** मतदाताओं के बजाय **450** मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया है। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि अतिरिक्त बनाये गये मतदान केन्द्रों के लिए पैक्सों को कोई अतिरिक्त निर्वाचन शुल्क नहीं देना होगा। इसपर होने वाले व्यय का वहन प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। मतदान के समय भीड़-भाड़ से बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके **06:30** बजे पूर्वाह्न से **04:30** बजे अपराह्न तक किया गया है। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक- 1442 दिनांक- 02.07.2020 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है।

13. समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 16.11.2021 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 16.11.2021 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

14. कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिबद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ साबुन पानी से साफ किये जाने आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जाएगी। हैंड सेनिटाईजेशन/ साबुन पानी से हाथ साफ कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का आवंटन किया जाएगा।

अनुलग्नक: यथोक्त।

(पुरूषोत्तम पासवान)
सचिव।

ज्ञापांक : 1695 पटना/ दिनांक 02/11/2021

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक : 1695 पटना/ दिनांक 02/11/2021

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित वरीय अपर समाहर्त्ता/ संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि पैक्स चुनाव, 2019 की भाँति इस चुनाव में भी **दिनांक** 13.11.2021 तक कृपया अपने स्तर से पर्यवेक्षक (Observer) की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदान की अवधि 07:00 बजे पूर्वाह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जा सकती है।

3. संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक : 1695 पटना/ दिनांक 02/11/2021

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक : 1695 पटना/ दिनांक 02/11/2021

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 1695 पटना/ दिनांक 02/11/2021

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक/ श्री हरि किशुन राम, सहायक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

अनुलग्नकः—1

निर्वाचन देय प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) की सूचीः—

क्र0	जिला	प्रखंड	पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	कैमूर	चाँद	बिउरी पैक्स	
2	सारण	मशरख	गंगौली पैक्स	
3	जमुई	बरहट	पाड़ो पैक्स	रिक्त पदों का निर्वाचनः— अनुसूचित जाति/ जनजाति— 01 पद (महिला), पिछड़ा वर्ग— 01 पद (महिला), अति पिछड़ा वर्ग— 01 पद (महिला)।
4	जमुई	बरहट	बरहट पैक्स	

अनुलग्नकः–2

निर्वाचन हेतु वैसे प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) की सूची, जिनके निर्वाचन शुल्क की राशि नामांकन शुल्क से प्राप्त की जानी है:–

क्र0	जिला	प्रखंड	पैक्स का नाम	अभ्युक्ति
1	भोजपुर	तरारी	बड़कागॉव पैक्स	
2	भोजपुर	तरारी	जेठवार पैक्स	
3	भोजपुर	बिहियाँ	ओसाई पैक्स	रिक्त पदों का निर्वाचनः– अनुसूचित जाति/ जनजाति– 01 पद (महिला), पिछड़ा वर्ग– 01 पद (महिला), अति पिछड़ा वर्ग– 02 पद, जिसमें एक पद महिला के लिये आरक्षित।

..................समिति का निर्वाचन

प्रपत्र- ई०-**1**

सूचना का प्रपत्र

जिला ...., प्रखंड ....के अन्तर्गत................................(समिति का नाम) के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक........................को किया जाना है,

मैं...निर्वाचन पदाधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या .... है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1	2

(ii) अध्यक्ष/ सचिव के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में..(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को .... (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक .... (नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक................................से दिनांक.............................तक ....बजे से..................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक........................को.................................. (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....................................को अपराह्न .... बजे के पूर्व तक .... (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

*(vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र- ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा।

(viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक..को निम्नांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 06:30 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा:-

मतदान केन्द्र संख्या	मतदान केन्द्र का नाम
(1)	
(2)	
(3)	

(ix) मतगणना दिनांक ....को ....बजे से .... (स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी।

स्थान -

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

*जो लागू न हों, उसे काट दें।

मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएँ:-

1. मतदान केन्द्र को मतदान के एक दिन पूर्व सेनेटाईज किया जाएगा। बैलेट बॉक्स एवं सेनिटाईज करने योग्य अन्य सामग्रियों को भी सेनिटाईज किया जाएगा।
2. मतदान केन्द्र पर कार्यरत मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए मास्क एवं डिस्पोज़ेबल ग्लब्स उपलब्ध कराये जाएँगे।
3. मतदान केन्द्र परिसर में मतदाता के प्रवेश के वक्त ही उनके हाथों को साबुन-पानी से धोने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक प्लास्टिक की बाल्टी, मग एवं साबुन की व्यवस्था की जाएगी।
4. मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश के वक्त प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मतदाता मास्क अथवा गमछा या अन्य कपड़े से मुँह-नाक ढके हों। केवल मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने हेतु इसे हटाया जा सकेगा। उस वक्त भी मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों से मतदाता को कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा।
6. मतदान केन्द्र पर लगने वाली कतार में सामाजिक दूरी का पालन हो सके, इसके लिए कम-से-कम एक मीटर की दूरी पर गोल घेरा बनाया जाएगा, जिसमें मतदाता खड़े होंगे।
7. मतदान हेतु कमरे में प्रवेश करते वक्त प्रत्येक मतदाता के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से सेनिटाईज किया जाएगा।
8. वोटिंग स्टीक को पकड़ने के लिए टिश्यू पेपर की व्यवस्था की जाएगी। वोटिंग करने के पश्चात् मतदाता द्वारा इस्तेमाल की गई टिश्यू पेपर को डस्टबीन में डाल दिया जाएगा। इसे अन्यत्र नहीं फेंका जाएगा।
9. मतदान के पश्चात् कमरे से बाहर निकलने वाले मतदाताओं के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से पुनः सेनिटाईज किया जाएगा।
10. पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान कर्मी द्वारा भी मतपत्र देने में नियमानुकूल सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।
11. मतदान कार्य समाप्ति के पश्चात् मतदान कर्मी डिस्पोसेबल ग्लब्स/ मास्क एवं प्रयुक्त टिश्यु पेपर इत्यादि का सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप डिस्पोजल कराएँगे। जिला पदाधिकारी इसके लिए सिविल सर्जन के माध्यम से व्यवस्था कराएँगे।
12. मतदान केन्द्र पर उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का भी ध्यान रखा जाएगा।

—0—